

## मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) **आसलखेड़ी**

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

उनवान

**नरेन्द्र सिंह**

बनाम

**शपस्वान-सरकार**दावा बाबत **जाम दुरुस्ती U/S 88 P.A.**

मुकदमा नम्बर :- 131/2021

निर्णय दिनांक :- 01-12-2021

वादी की ओर से **स्वयं** की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **01-12-21** को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

दावा वादी स्वयं किया जाकर कब भी वेही उपर आसलखेड़ी में खेत खाता सं. 256 में अंकित नरेन्द्र सिंह पुत्र अजय सिंह के स्थान पर नरेन्द्र सिंह पुत्र अजय सिंह दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसील चूरु उस्ताज्वार शपस्व रिपोर्ट में अजय दर्ज करें। उक्त जाम दुरुस्ती में अजय के जोई निवाज की स्थिति उत्पन्न होने पर समस्त रिजमेररी वादी की होगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **01-12-2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।**राहुल सैनी**( राहुल सैनी )  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु

## वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. ....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

